रजिस्टर्ड नं० एल० -33/एस० एम० /13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 28 मार्च, 1996/8 चैत्र, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 4 अगस्त, 1995

संख्या एल० एल० आर० (राजभाषा) बी(16)-3/95.—हिमाचल प्रदेश रिपीलिंग ऐक्ट, 1978 (1978 का 26) के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तारीख 4-7-95 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है और यह हिमाचल

प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1978 (1978 का 26)

(31-5-95 को यथा विद्यमान)

कतिपय अधिनियमितियों के निरसन के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में एतद्द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1978 है संक्षिप्त नाम।

2. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, सिवाए हिमाचल प्रदेश लैण्ड होल्डिंगज टैक्स ऐक्ट, 1974 (1974 का 21) के, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से निरसित हो जाएगी और हिमाचल प्रदेश लैण्ड होल्डिंगज टैक्स ऐक्ट, 1974 (1974 का 21) प्रथम अप्रैल, 1976 से निरसित किया गया समझा जायेगा । कतिपय अधिनियमितियों का निरसन।

3. इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियमिति का निरसन,— व्यावृतियां।

(क) किसी अन्य अधिनियमिति, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट की गई हो, पर प्रभाव नहीं डालेगा, या

(ख) किसी भी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति प्रक्रिया या अन्य विषय या बात को, जो इस समय विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं करेगा, या

(ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन या तदधीन सम्यक रूप से की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा, या

(घ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा, या

(ङ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन, उसके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, दण्ड, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग क या से किसी निर्मोचन या उन्मोचन या पूर्व मन्जूर की गई क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा, या

(च) विधि के किसी भी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारित प्ररूप या अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया के अनुक्रम, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को इस बात के होते हुए भी कि वे किसी भी प्रकार से एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमित द्वारा, उस में या उससे, क्रमश: अभिपुष्ट, मान्य या व्युत्पन्न हुए हो, प्रभावित, नहीं करेगा, या

(छ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा, या

(ज) किसी यथा पूर्वोक्त ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा,

और ऐसा कोई भी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और ऐसी कोई भी शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो कि यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ था ।

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
1806	1806 का बंगाल रेगुलेशन 17.	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि बंगाल लैण्ड (रिडेम्पशन एण्ड फोरक्लोजर) रेगुलेशन, 1806.	सम्पूर्ण
1903	1903 का पंजाब ऐक्ट संख्या 11.	प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में यथा समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि पंजाब कोर्ट आफ वार्ड्ज ऐक्ट, 1903.	सम्पूर्ण
1798	1798 का बंगाल रेगुलेशन संख्यांक 1	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गये क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि बंगाल लैण्ड (कण्डीशनल सेल्ज) रेगुलेशन, 1798.	सम्पूर्ण
1963	1963 का पंजाब ऐक्ट संख्यांक 25.	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गये क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि पंजाब थर एण्ड सेम लैण्डज रेक्लामेशन ऐक्ट, 1963.	सम्पूर्ण
1974	1974 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 21.	हिमाचल प्रदेश लैण्डज होल्डिंगज टैक्स ऐक्ट, 1974.	सम्पूर्ण

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।